राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3488/2024 मोनिका शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), अजमेर रेंज, अजमेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक (राज.)। 5. महात्मा गांधी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलू टोंक, राजस्थान जरिये प्रधानाचार्य।	02.12.2024	07.11.2024	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
2.	3489/2024 मुकेश चन्द्र ताखर				

आदेश की दिनांक : 05.12.2024

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3488/2024 मोनिका शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

पीपलू, जिला टोंक में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 07.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है, जबकि अपीलार्थी नियुक्ति दिनांक से ही पदस्थापित है। अपीलार्थी विज्ञप्ति दिनांक 18.10.2022 के आधार पर अपीलार्थी का अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर चयन हुआ था और उसे आदेश दिनांक 29.11.2022 के द्वारा पदस्थापित किया गया और दिनांक 02.12.2022 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया तथा सेटअप परिवर्तन के लिये अपीलार्थी को बिना किसी कारण के अधिशेष घोषित कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि विज्ञप्ति दिनांक 18.10.2022 के आधार पर अपीलार्थी का चयन हुआ और दिनांक 02.12.2022 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.10.2022 के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर उक्त विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु अध्यापक लेवल प्रथम के शिक्षकों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित कर लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये और निदेशक समेकित बाल विकास विभाग के अधीन (आईसीडीएस) के अधीन कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिदुं संख्या 230 एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24.11.2022 की पालना में शिक्षा विभाग के अधीन महात्मा गांधी में संचालित बाल वाटिका में समायोजन के निर्देश प्रदान किये गये और प्राप्त निर्देशों के क्रम में आईसीडीएस से समायोजित पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को ऐसे महाविद्यालयों में पदस्थापित किया गया, जहां पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका संचालित है। अपीलार्थी बीएसटीसी है, जो प्राथमिक कक्षाओं को अध्ययन–अध्यापन करवाये जाने की योग्यता है। जबकि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक हेतु आवश्यक योग्यता एनटीटीए है। वर्तमान पदस्थापन स्थान पीपलू, टोंक में वर्तमान में 2 एनटीटी योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कार्मिक उक्त विद्यालय में अधिशेष है और इसलिये आलोच्य आदेश दिनांक 07.11.2024 के द्वारा अधिशेष घोषित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलू, जिला टोंक में कार्यरत है। आदेश दिनांक 07.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है, जबकि अपीलार्थी नियुक्ति दिनांक से ही पदस्थापित है। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा अधिशेष घोषित किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी बीएसटीसी योग्यताधारी है, जो प्राथमिक कक्षाओं को अध्ययन–अध्यापन करवाये जाने की योग्यता है। जबकि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक हेतु आवश्यक योग्यता एनटीटीए है। वर्तमान पदस्थापन स्थान पीपलू, टोंक में वर्तमान में 2 एनटीटी योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कार्मिक उक्त विद्यालय में अधिशेष है। इस प्रकार हम आलोच्य आदेश दिनांक 07.11.2024 में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं पाते हैं। अतः उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित दोनों अपीलें खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित दोनों अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3488/2024 मोनिका शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 3489/2024 मुकेश चन्द्र ताखर में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)